न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)
कैम्प– पंचायत समिति जवाजा
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2018

श्री मोट सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र श्री दूदा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम बिच्छुचौड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0) ––(मृतक)
1/1 श्री रतनसिंह पुत्र स्व. श्री मोटसिंह
1/2 श्री विजयसिंह पुत्र स्व. श्री मोटसिंह

––––––प्रार्थी

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
2– श्री रामा आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. श्री मिठू सिंह
3– श्री सोहन आयु 38 वर्ष पुत्र स्व. श्री मिठू सिंह
4– श्रीमती रेशमी आयु 72 वर्ष पत्नि स्व. श्री मिठू सिंह
5– श्री अली काठात आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बाबू काठात
अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम सोवनिया पोस्ट दुर्गावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6– श्रीमती सोहनी आयु 45 वर्ष पुत्री स्व. श्री मिठु सिंह पत्नि श्री कालू जाति मेहरात निवासी ग्राम सोवनिया पोस्ट दुर्गावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7– श्री अरविन्द आयु 60 वर्ष पुत्र श्री राकेश जाति मेघवाल निवासी ग्राम गिरी तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

–––––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151
जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 14.08.2020

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि ग्राम जालिया प्रथम पटवार हल्का जालिया प्रथम में खसरा संख्या 219/2 रकबा 01–04–10 किस्म ता.2 व खसरा संख्या 220 रकबा 04–06–00 किस्म ता.2 खातेदारी में स्थित है। उक्त भूमि की दक्षिणी पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 223, 224 व 225 स्थित है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमियों में आने जाने के लिए खसरा संख्या 224 व 225 की दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में सिति मेड़ पर से होकर आने जाने के लिए रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि तक कृषि के उपकरण, ट्रेक्टर, बैल, गाय, भैंस बकरी आदि लाने व ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शा से लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी तक आने जाने के लिए खसरा संख्या 225 के खातेदारानों अप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने खसरा संख्या 223 पर लगभग एक बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करते हुए उक्त भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 225 में मिलाते हुए प्रार्थी के खेत तक जाने वाले रास्ते को दिनांक 12.09.2018 को भारी मात्रा में पत्थर आदि डालकर बन्द कर दिया है व प्रार्थी को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि तक आने जाने के रास्ते से वंचित कर दिया है। दिनांक 13.09.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से 6 से निवेदन किया कि मेरे इस वादग्रस्त खेत के इस रास्ते को बन्द मत करों जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हें हम रास्ता किसी भी सूरत में नहीं देंगे। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रार्थी के वादग्रस्त खेत तक आने जाने के रास्ते में अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खेत, ख.सं. 225 के अतिरिक्त

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

खसरा संख्या 224 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी का खेत है लेकिन अप्रार्थी संख्या 7 के द्वारा उक्त रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के प्रावधानानुसार खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिलवाया जाना प्रावधित है। उपरोक्त परिस्थितियों में निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी के द्वारा उपयोग उपभोग में लिये जा रहे वादग्रस्त रास्ता जो कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित है, उक्त रास्ता में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त रास्ता को प्रार्थी के खेत तक आने जाने के रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन दरामद करवाया जावे व उसके पश्चात् नक्शा तरमीम भी करवाया जावे एवं प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रास्ता की भूमि की डी.एल.सी. दर से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 को शुल्क अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 तामील तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जा0 दी0 प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन वर्णित किये गये हैं एवं गलत व असत्य है। खसरा संख्या 224 व 225 की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जो मेड़ है वह शुरू से ही पत्थरों की बनी हुई थी इसलिए वहां कोई रास्ता हो ये तथ्य सर्वथा गलत है एवं जो लाल स्याही से नजरी नक्शा दर्शाया गया है वह भी पूर्णतः गलत व असत्य है। खसरा संख्या 225 अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 की खातेदारी की भूमि है जो कि अप्रार्थीगण के बीच हुए लिखित बंटवारे अनुसार हिस्से में आया है, इसलिए खसरा संख्या 225 अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी का नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा है क्योंकि लिखित बंटवारे में खं.नं. 226 अप्रार्थी संख्या 5 के पूर्व मालिक/खातेदार श्री धन्ना पुत्र अहमदा के हिस्से में आया था। इसी क्रम में ख.नं. 225 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 ने खसरा संख्या 223 पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया, ना ही उक्त भूमि को कभी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 25 में मिलाया। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते का उपभोग बताया है वह खं. सं. 223 में है जिसे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में स्वीकार किया है। इसलिए प्रार्थी के पास अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरान् में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है तथा वह उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा है इसलिए वह उक्त अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 5 के खसरा संख्या 225 में से कोई रास्ता हेतु भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। शेष कथन असत्य, गलत व स्वीकार्य नहीं है। प्रार्थी के पास अलटरनेटिव रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थी तथ्य छिपाकर क्लीन हेन्ड से नहीं आया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किए गए गलत, असत्य व अस्वीकार है। वर्णित तौर पर खसरा संख्या 225 में प्रार्थी का किसी तरह का कोई रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है। प्रार्थी के पास उसकी भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण उत्तरकर्ता प्रार्थी की भूमि को रास्ता बतलाते हुए उसे हड़पना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रकरण में तहसीलदार ब्यावर द्वारा कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किये हैं कि प्रार्थी मोटसिंह पुत्र दूदसिंह जाति रावत की खातेदारी भूमि ग्राम जालिया प्रथम के खसरा नम्बर 219/2 व 220 पर वर्तमान में खसरा नम्बर 223 रकबा 09–10–00 किस्म–चरागाह भूमि में से मुख्य सड़क से जाने जाने का मौके पर कच्चा रास्ता है, जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी खसरा संख्या 223 चरागाह भूमि में से आने–जाने हेतु उपयोग कर रहा है। प्रार्थी द्वारा वांछित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 224, 225 के अतिरिक्त खसरा संख्या 223 चरागाह भूमि में से ही रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है। यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक खसरा नम्बर 224 व 225 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो खसरा संख्या 224 में से 00–06–15 रकबा व 225 में से 00–06–15 कुल रकबा 00–13–10 रास्ते हेतु प्रभावित होगा तथा भूमि असिंचित है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थी मोटसिंह के पुत्र श्री रतनसिंह व श्री विजयसिंह उपस्थित हुए जिन्होंने कैम्प में उपस्थित रूबरू मोतबिरान उनके पिता की मृत्यु होना अवगत करवाया व इनके अतिरिक्त श्री मोट सिंह के कोई अन्य पुत्र नहीं होना अवगत करवाया तथा प्रकरण में वारिसान के रूप में स्वयं ही पैरवी किए जाने के कथन किए। अतः सर्वप्रथम मोटसिंह के नाम के आगे "मृतक" शब्द अंकित करते हुए मृतक मोटसिंह के दोनों पुत्रों को प्रार्थी पक्षकार 1/1 व 1/2 अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी के वारिसान उनके दोनों पुत्रगण को सुना गया जिन्होंने स्वयं की खातेदारी भूमियों में आने जोन हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं होना बतलाते हुए अप्रार्थी की खातेदारी भूमियों में से रास्ता दिलवाये जाने के कथन किए। पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर मय पटवारी हल्का ने बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 223 चरागाह भूमि में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है एवं जो मौके पर मुख्य सड़क से आने–जाने हेतु विद्यमान है तथा प्रार्थीगण भी इसी रास्ते से आना–जाना करते हैं जो नजदीक एवं सुविधाजनक है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये खसरें में से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम जालिया प्रथम का राजस्व नक्शा संवत् 2027–28 प्रस्तुत किया है तथा ग्राम जालिया प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 341 में वर्णित खसरा संख्या 219/2 रकबा 01–04–10 व ख.सं. 220 रकबा 04–06–00 मोटसिंह वल्द दूदासिंह कौम रावत सा. बिच्छुचौड़ा खातेदार के नाम अंकित है। ग्राम जालिया प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 377 में वर्णित खसरा संख्या 225 रकबा 01–08–10 व ख.सं. 226 रकबा 01–07–00 रामा सोहन पि. मिठूसिंह सोहनी पुत्री मिठूसिंह रेशमी जूरी पत्नि स्व. मिठूसिंह हि.1/2 अली काठात वल्द बाबू काठात हि. 1/2 कौम मेरात सा. सोवनिया खातेदार दर्ज होना पाया गया। ग्राम जालिया प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 190 में वर्णित खसरा संख्या 224 रकबा 01–00–00 बीघा अरविन्द कुमार पुत्र राजेश कुमार जाति मेघवाल सा. गिरी तह. रायपुर खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते बाबत् नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है।

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उक्त समस्त दस्तावेजात् एवं तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट एवं बहस में किए गए कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो मुख्य सड़क से आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं ने भी अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में यह स्वीकार किया है कि वह खसरा नम्बर 223 से आता जाता है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का ग्राम जालिया प्रथम की वादग्रस्त आराजियात बाबत् यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(रेखा चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर